

अपील क्रमांक 175/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /08/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 175/बो.प्र./नि.स./2022

अपीलार्थी
Meena Pandey,
No. 229&230, First Floor,
Chouhan Plaza, Shastri Nagar,
Bhilai (C.G.), Pin-490023,
Cell No. 9770311808

उत्तरवादी
श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

आदेश दिनांक 04.08.2022

1. आवेदिका/अपीलार्थी मीना पाण्डेय अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप :-
 - (i) आवेदिका/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.06.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
 - (ii) जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 12.07.2022 को पत्र द्वारा आवेदिका को (Speed Post) सूचित किया कि वांछित दो बिन्दुओं की जानकारी के प्रथम बिंदु की आंशिक समान जानकारी 212 पृष्ठों की है जो रु. 424/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है तथा दूसरे बिंदु की जानकारी अलग-अलग संबंधित कार्यालयों में संपर्क करने का परामर्श दिया।
 - (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 19.07.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ।
4. दिनांक 21.07.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी से दूरभाष पर हुई चर्चा अनुसार कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत चिन्हांकित कर तदनुसार जानकारी सुनवाई दिनांक 29.07.22 को उपस्थित होकर प्राप्त करने पर आवेदिका/अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की। आवेदिका/अपीलार्थी दिनांक 29.07.2022 को अनुपस्थित रही। आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 04.08.2022 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई।
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज उपस्थित होकर लिखित में बताया गया कि आवेदिका/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2022 को प्राप्त हुआ। चूंकि आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार आवेदन पत्र का विषय वस्तु अलग-अलग है एवं वांछित जानकारी पूर्णतः Specific नहीं है। वांछित जानकारी पूर्णतः Specific नहीं होने एवं उससे संबंधित मिलती-जुलती दो प्रकरण है, जिसकी जानकारी शासन को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई है, जो 212 पृष्ठों में समाहित है। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदिका/अपीलार्थी को कार्यालय में शुल्क जमा कर प्राप्त करने या उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत चिन्हांकित कर तदनुसार जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु आवेदिका/अपीलार्थी ना तो उक्त जानकारी का अवलोकन करने उपस्थित हुई और ना ही कोई शुल्क उनके द्वारा जमा किया गया।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदिका को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
(ii) आवेदिका/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया जा चुका था कि उपलब्ध जानकारी वांछित जानकारी से आंशिक समानता रखती है और उसमें शुल्क भी उन्हें नियत अवधि से पूर्व सूचित किया गया था।
(iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने ना तो उपलब्ध जानकारी का अवलोकन किया और ना ही आवश्यक शुल्क जमा किया।
(iv) आवेदिका/अपीलार्थी ने जानकारी नहीं देने संबंधी अपील की जो दिनांक 19.07.2022 को प्राप्त हुई। प्रथम सुनवाई दिनांक 29.07.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित रही। द्वितीय सुनवाई दिनांक 04.08.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित रही।
7. जनसूचना अधिकारी ने नियम सम्मत सूचना निर्धारित अवधि में दी थी। परन्तु आवेदिका/अपीलार्थी ने कोई शुल्क जमा नहीं किया और ना ही अवलोकन किया और ना ही सुनवाई में उपस्थिति दी। अतः अपील निरस्त की जाती है। आवेदिका/अपीलार्थी चाहे तो एक माह की अवधि में आंशिक संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर सकती है और चिन्हांकित जानकारी शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकती हैं। जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचित 212 पृष्ठ की जानकारी भी इस अवधि में शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./175/बो.प्र./नि.स./2022/7283

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Meena Pandey, No. 229&230, First Floor, Chouhan Plaza, Shastri Nagar, Bhilai (C.G.), Pin-490023 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)